विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2023 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री लाल बिहारी यादव, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूँछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–7 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
7(क) क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 7क (क) में दी गई पूर्व में मान्यतायें परिवर्तित होकर इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 7(4) में कर दी गई है ?	जी नहीं। नवीन मान्यतायें अधिनियम की धारा–7(4) के अन्तर्गत तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं की अतिरिक्त वर्ग/विषय तथा उच्चतर कक्षा की मान्यता धारा–7क (क) के अन्तर्गत दी जा रही है।
(ख) क्या धारा परिवर्तन करने के बाद शिक्षकों/कर्मचारियों की नयी सेवा नियमावली बनाई जायेंगी ?	शासनादेश संख्या–ई0एम0–1443/15–7–2001–1(191)/2000, दिनांक 10.08.2001 द्वारा वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की सेवा शर्ते तथा परिलब्धियों के भुगतान की पूर्व से व्यवस्था की गई है।
(ग) यदि हॉ, तो कब तक ?	प्रश्न नहीं उठता।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्तानुसार।

गुलाब देवी
मंत्री।

Qvsa